यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर के माह 01/2017 से 12 /2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15-01-2019 से 18-01-2019 तक श्री शशिकांत पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक, श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एफ॰ आर॰ खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था। जिसमे माह 04/2012 से 12/2016 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा मुख्यतः प्रसव कार्य, ओपीडी,बच्चो का टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी सेवाये
इकाई द्वारा राज्य सरकार, यूजर चार्जेस एन॰ एच॰ एम॰, जननी सुरक्षा योजना, प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान योजना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		वापस की गई राशि	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन₹	व्यय ₹	आवंटन₹	व्यय₹		
2015-16	00	53.97	618.12	618.12	244.58	267.29	----	31.26
2016-17	00	31.26	548.92	548.92	280.09	244.89	19.03	47.43
2017-18	00	47.43	667.47	667.47	194.48	185.20	1.10	55.61

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त ₹	वापस की गई धनराशि	बचत(-) ₹
2015-16	NHM yojna	19.46	90.95	----	21.95
2016-17	NHM yojna	21.95	91.36	19.03	22.52
2017-18	NHM yojna	22.55	79.77	1.10	36.33

(iii) इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई इकाई को जिला योजना, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी 'स' के अंतर्गत आती है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

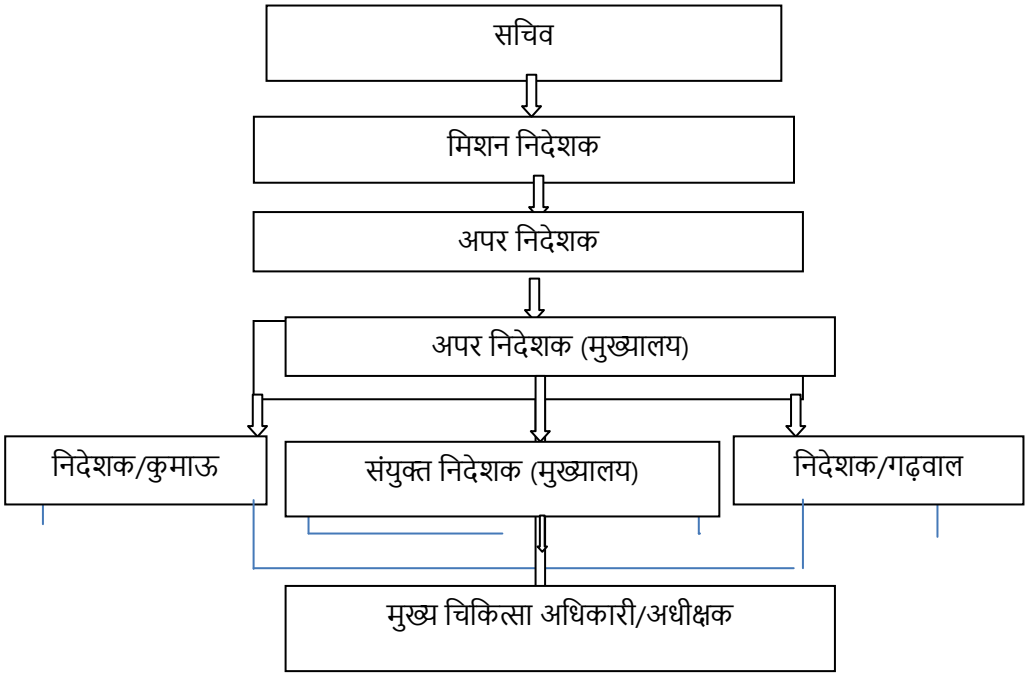

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में गर्भवती एवं अन्य महिलाओ का उपचार, प्रसव, बच्चो का टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी सेवाये लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खंड मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 एवं 08/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जननी सुरक्षा योजना, औषधि क्रय,एम°वी°एस°वी° योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:-01 विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप रुपए 1.93 लाख के अपेक्षित लाभ से लाभार्थियों का वंचित रहना ।

उत्तराखंड राज्य में शासनादेश सं० 100/xxvii-4-2015-58/2014 TC दिनाक 11-02-2015 द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गयी । उक्त योजना के क्लैम प्रोसेसिंग के अनुसार pre-authorization request should be raised by public hospital within 72 hours after admission of patient and before surgical procedure is done.

राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों/सूचना की जांच से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान 14 मामलों में मेडिकल ट्रीटमंट पूरा होने के बाद इन्श्योरेंस कंपनी के समक्ष प्राधिकारी को सूचना प्रेषित की गयी जिससे संबन्धित रोगियों को अपेक्षित रुपए 1.01 लाख का लाभ नहीं मिल पाया। पुन: इसी प्रकार उक्त वर्षों के दौरान 06 रोगियों को एम एस बी वाई से संबन्धित extended standard operating procedure for claim processing का पालन नहीं करने के कारण रुपए 92,350.00 का लाभ रोगियों को नहीं मिल पाया ।

विभागीय उत्तर में बताया गया कि प्रशिक्षित कर्मियों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण अपेक्षित दस्तावेज़ समय से अपलोड नहीं हो पाये एवं prescribed procedure का पालन नहीं किया जा सका । सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। विभागीय उत्तर लेखा परीक्षा उत्तर की पुष्टि करता है । प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर-02 औषधि की स्थानीय क्रय रु 29.42 लाख मे औषधि क्रय नीति का पालन न किया जाना

उत्तराखंड शासन संख्या 932/XXVII-4-2014-28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के अंतर्गत औषधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसमे औषधियो का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओ से ही किया जाना था। जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे चार्टेड एकाउंटेंड (सीए) द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षो की बैलेन्स शीट की टर्न ओवर की प्रतियाँ ली जाये एवं उन्ही फर्मो से दवा की खरीद की जाये। औषधि उत्तराखंड मे स्थित स्थानीय उत्पादको को इस शर्त के साथ छूट देते हुए औषधियो एवं सर्जिकल आइटमों हेतु विगत 03 वर्षो का औसत टर्न ओवर निर्धारित किया गया था । उत्तराखंड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति के अंतर्गत यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियो को छोड़कर शेष समस्त औषधियो के टेंडर कराये जायेगे।

लेखापरीक्षा अवधि (01/2017 से 12/2018) के दौरान औषधि एवं सर्जिकल आइटमों संबंधी क्रय अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त अवधि मे रु 29.42 लाख की खरीद करते समय उपर्युक्त नियमो का पालन नहीं किया गया और कोटेशन के आधार पर खरीद की गयी।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि औषधि एवं सर्जिकल आइटमों की खरीद क्रय समिति की संस्तुति पर कोटेशन के आधार पर क्रय की गयी थी। आगे से औषधि क्रय नीति के अनुसार क्रय किया जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः तथ्यो की पुष्टि होती है कि इकाई द्वारा औषिधि क्रय नीति का पालन नहीं किया जा रहा था। अतः औषधि एवं सर्जिकल आइटमों की स्थानीय क्रय रु 29.42 लाख मे औषधि क्रय नीति का पालन न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर -03 यूजर चार्जेस की धनराशि रु 9.40 लाख का कोषागार मे कम जमा किया जाना ।

रोगियो से प्राप्त यूजर चार्जेस की धनराशि के 50 प्रतिशत की राशि को कोषागार मे जमा करना होता है।
बैलेन्स शीट के निरीक्षण मे पाया गया कि मार्च 2018 मे रु 60.93 लाख राशि यूजर चार्जेस के प्राप्ति हुई थी। जिसकी 50 प्रतिशत की धनराशि रु 30.46 लाख कोषागार के खाते मे जमा किया जाना था। किन्तु इकाई द्वारा रु 21.06 लाख ही कोषागार के खाते मे जमा किया गया। अतः रु 9.40 लाख की धनराशि कोषागार मे कम जमा की गयी। जो यूजर चार्जेस को व्यय किये जाने के नियम के विरुद्ध था।
इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि जानकारी के अभाव मे तथा लगातार स्थानांतरण के कारण कार्मिक द्वारा कम राशि जमा किया गया।
इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि इकाई को यूजर चार्जेस के व्यय की जानकारी होनी चाहिये थी। जो नियमानुसार नहीं की गयी। अतः यूजर चार्जेस कि धनराशि रु 9.40 लाख का कोषागार मे कम जमा किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: ₹ 877700.00 का अनियमित भुगतान।

जे एस वाई दिशा निर्देशों के अनुसार आशाओं को देय धनराशि (रुपये 600 ग्रामीण क्षेत्र एवं 400 शहरी क्षेत्र) का दो बार में भुगतान किया जाता है। प्रथम बार गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र पर लाने के समय और द्वितीय बार प्रसव के एक माह बाद स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे को बी सी जी के टीकाकरण के बाद ।

राजकीय सयुंक्त चिकित्सालय रामनगर के जे एस वाई से संबन्धित अभिलेख एवं प्रदत्त आंकड़ों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2017-18 (दिसम्बर 2018 तक) के दौरान समस्त आशा कार्यकर्त्री को दिशा निर्देशों के विरुद्ध एक बार में ही कुल भुगतान रुपये 877700.00 कर दिया गया। लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि जे एस वाई की दिशा निर्देशों के अनुसार आशाओं को incentive प्रदान किया जाएगा ।

विभागीय उत्तर स्वयं लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-2 चयनित माहों की रोकड़ बही मे प्राप्ति एवं भुगतान की राशि का मिलान न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 6 के अनुसार सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों को रोकड़ बही मे दर्ज करना चाहिये । तथा रोकड़ बही एवं पास बुक का मिलान समय समय पर किया जाना चाहिये तथा अंतर की राशि का बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिये ।

चयनित माह 03/2018 एवं 02/2018 कि रोकड़ बही की जांच मे निम्नलिखित विसंगतियाँ पायी गयी-

सीपीएस की माह 03/2018 की रोकड़ बही मे पाया गया कि -

1. दिनांक 19/03/2018 को रु 10101/- के स्थान पर रु 1010/- का भुगतान था। रु 9091/- का अधिक व्यय दर्शाया गया।
2. दिनांक 31.03.2018 को रु 18,13,547/- शेष की जगह रु 19,28,950/- दर्शाया गया है। रोकड़ बही मे उक्त तिथि को प्राप्ति की कोई राशि नहीं दर्शायी गयी है। उक्त तिथि को पेंसिल से अंकन किया किया गया था । तथा अंतिम शेष की राशि भी स्पष्ट नहीं थी । तथा बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया गया था।
3. दिनांक 1/3/2018 को रु 38395/-, दि0 7/3/2018 को रु 6000/-, दि0 09/03/2018 को रु 282128/-, दि0 16/03/2018 को रु 115000/-, दि0 17/03/2018 को रु 120000/-, एवं रु 40000/-, दि0 19/03/2018 को रु 117070/-, दि0 20/03/2018 को रु 500000/-, दि0 22/03/2018 को रु 162062/-, दि0 23/03/2018 को रु 75000/- दि0 24/03/2018 को रु 13755/-, दि0 27/03/2018 को रु 5300/-, दि0 28/03/2018 को रु 71993/-, दि0 31/03/2018 को रु 6000/- की प्राप्ति का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया ।
4. दि0 20/08/2018 को रु 240008/- एवं रु 2700/- की प्राप्ति का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. माह 06/2018 मे रु 115275/-, रु 110812/--, रु 127555/-, रु 18294/- तथा रु 169330/- का 50 प्रतिशत की राशि का कोषागार मे चालान जमा का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया ।
6. माह 03/2017 मे रु 126033/-, रु 118233/-, रु 1115146/-, रु 68034/-, रु 159951/-, रु 41697/-, रु 119282/-, रु 157371/-, रु 1500000/-, रु 29820/-, रु 9657/-, रु 178913/- एवं रु 300000/- का जमा का साक्ष्य अर्थात न तो पासबुक उपलब्ध थी और न ही चालान की प्रति उपलब्ध थी ।
7. माह 03/2017 की रोकड़ बही मे रु 2117422/- का शेष रोकड़ बही मे पेंसिल से दर्शाया गया है। जो नियम विरुद्ध था । पास बुक मे रु 2704938/- दर्शित था, जिसके मिलान हेतु बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
8. आरसीएच निधि मे माह 03/2018 को रु 150/- का भुगतान का चेक वर्तमान तक इकाई के पास बिना भुगतान के पड़ा हुआ था ।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि अभिलेखो को बनाये जाने का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण रोकड़ बही त्रुटिपूर्ण बनायी गयी। अभिलेखो का मिलान कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई के उत्तर से इस तथ्य कि पुष्टि होती है कि इकाई द्वारा रोकड़ बही जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार नहीं बनाया गया और न ही माह के अंत मे रोकड़ का मिलान किया गया।

अतः चयनित माहों की रोकड़ बही मे प्राप्ति एवं भुगतान की राशि का मिलान न किया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-03 रु 2.94 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण लंबित रहना ।

सामान्य वित्तीय नियम-2005 का नियम संख्या 196 और 197 प्रावधानित करता है कि किसी सामग्री के उपयोग नहीं हो पाने, अतिरिक्त होने, अप्रासंगिक होने की स्थिति मे निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है, और इस प्रकार की रु. 2 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री का निस्तारण निविदा या सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सा, हल्द्वानी के अभिलेखों की संप्रेक्षा के दौरान नमूना जांच मे पाया गया कि संपरीक्षा अवधि तक कुल 38 अनुपयोगी उपकरण, सत्रक एवं सामाग्री थे। जो विगत कई वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ था। इस प्रकार के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामाग्र के अनुपयोगी पड़े रहने से उनके अपक्षय (deterioration) होने के कारण उनके वास्तविक मूल्य का लगातार ह्रास होता रहता है जो कि शासकीय धन की हानि है। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाने से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित रहना पड़ा। जिसके कारण रु. 2.94.लाख के उपकरण विगत पाँच वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़े है । इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि नीलामी की प्रक्रिया गतिमान है, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई के द्वारा निष्प्रोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये । अत: रु 2.94 लाख की उपकरण विगत वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
120/2012-13	**----**	1,2	----
146/2016-17	**----**	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अनुपालन आख्या संस्तुति हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की गयी थी । जिसकी संस्तुति अपेक्षित है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

रोकड़ बही से संबन्धित अभिलेख जैसे बैंक समाधान विवरण, पूर्ण भरी रोकड़ बही,तथा यूजर चार्जेस से संबन्धित अभिलेख

2. **सतत् अनियमितताएः**

"शून्य"

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 एच0 एस0 खड़ायात	मु0चि0अधि0	07-08-2012 से 28.06.2017
2.	डा0 बी0डी0 जोशी	मु0चि0अधि0	29.06.2017 से 27.05.2018
3.	डा0 टी0के0पंत	मु0चि0अधि0	28.05.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र